ए.

मुनी रेड्डी और ए. एन. आर. बनाम

सी. नागराजू और ओआरएस।

(2008 की सिविल अपील सं. 2342) सितंबर 20,2018

बी.

[अभय मनोहर सप्रे और एस**.** अब्दुल नजीर**,** जे**.** जे**.]**

मुकदमा-अपीलकर्ता-वादी ने बिक्री विलेख को रद्द करने के लिए प्रतिवादियों-प्रतिवादियों के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया-मुकदमा निचली अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया था और पहली अपीलीय अदालत-दलों ने मामले से समझौता किया-इसके अनुसार, उच्च न्यायालय ने दिनांक 10.04.2002 के आदेश द्वारा पक्षों के बीच हुए समझौते के संदर्भ में अपील का निपटारा किया-इसके बाद, प्रतिवादी नं।2 दिनांक 10.04.2002 के आदेश को वापस लेने के लिए निपटाई गई अपील में आवेदन दायर किया गया-आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.07.2002 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था-हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांकित 23.07.2002 के आदेश को दरकिनार कर दिया और समझौते की याचिका पर विचार करने सहित नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया-उच्च न्यायालय ने समझौता याचिका की वास्तविकता के संबंध में कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाया और योग्यता के आधार पर अपील का फैसला किया-आयोजितःउच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के आदेश की व्याख्या करने में गलती की-उच्च न्यायालय को पहले समझौता याचिका पर निर्णय लेने की आवश्यकता थी क्योंकि यदि समझौते को कानूनी और उचित माना जाता था, तो योग्यता के आधार पर अपील पर निर्णय लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी-उच्च न्यायालय का आदेश सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के उद्देश्य की ठीक से सराहना किए बिना पारित किया गया था-मामले को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया गया।

सी.

डी.

ई.

एफ.

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

आयोजित किया गया:**1.** उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के आदेश की व्याख्या करने में गलती की।आदेश को केवल पढ़ने पर**,** यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने समझौते की याचिका पर विचार करने के प्रश्न सहित कानून के अनुसार नए सिरे से निर्णय लेने के अनुरोध के साथ मामले को उच्च न्यायालय को भेज दिया।इसका तात्पर्य यह था कि समझौता याचिका पर विचार करने का प्रश्न आवश्यक था

जी.

एच.

745 ए.

746 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2018] 11 एस. सी. आर.

पहले तय करें।यह सरल कारण है कि यदि समझौता कानूनी और उचित माना गया था**,** तो योग्यता के आधार पर दूसरी अपील पर निर्णय लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी।दूसरे शब्दों में**,** योग्यता के आधार पर दूसरी अपील पर निर्णय लेने की आवश्यकता तभी उत्पन्न होती जब समझौते को अवैध माना जाता और संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी नहीं माना जाता।**[**पैरा **15] [750-**ए**-**सी**]**

बी.

2. इसलिए**,** उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या **2** द्वारा की गई शिकायत के अनुसार समझौते की वास्तविकता और वैधता के प्रश्न पर विचार नहीं करने में गलती की और तुरंत योग्यता के आधार पर दूसरी अपील पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ा।उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई इस प्रक्रिया में**,** इस सवाल पर कि समझौता वैध था या नहीं**,** इसके गुण**-**दोष पर ध्यान नहीं दिया जा सकता था**,** जिसमें इसे पहली बार में जाना चाहिए था।**[**पैरा **16] [750-**सी**-**डी**]**

सी.

3. इसलिए**,** उच्च न्यायालय का विवादित आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है क्योंकि इसे अपने पहले के आदेश में निहित इस न्यायालय के निर्देशों के उद्देश्य को ठीक से समझे बिना पारित किया गया था।इसलिए**,** इसने पक्षों के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह पैदा किया।**[**पैरा **17] [750-**डी**-**ई**]**

डी.

4. इस प्रकार**,** उपरोक्त निर्देश के अनुसार मामले पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को भेज दिया जाता है।उच्च न्यायालय समझौता आवेदन की वास्तविकता के प्रश्न पर निर्णय लेते समय**,** जैसा कि इस न्यायालय के पहले के आदेश द्वारा निर्देशित किया गया है**,** समयबद्ध अवधि में पक्षों के साक्ष्य दर्ज करने के उद्देश्य से मामले को निचली अदालत

को भेजना उचित मान सकता है।निचली अदालत से साक्ष्य प्राप्त करने पर**,** उच्च न्यायालय पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आलोक में प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेगा।**[**पारस **18,19] [750-**ई**-**जी**]**

ई.

एफ.

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2008 की सिविल अपील सं. 2342।

2001 की नियमित दूसरी अपील संख्या 804 में बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित 02.01.2008 के निर्णय और आदेश से।राधाकृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता, त्रिदीप पेस, प्रणव जैन, सुश्री सान्या कुमार, एन. के. वर्मा, सुश्री अंजना चंद्रशेखर, एस. थानंजयन, सुश्री प्रोमिला, अधिवक्ता।उनके साथ उपस्थित दलों के लिए।

जी.

एच.

747

मुनी रेड्डी और ए. एन. आर. बनामसी. नागराजू और ओआरएस।

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अभय मनोहर सप्रे, जे. 1.यह अपील निर्देशित है

2001 की नियमित दूसरी अपील में बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ, जिसमें उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थियों द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और जिला और सत्र न्यायाधीश, बैंगलोर ग्रामीण जिला द्वारा पारित निर्णय और डिक्री की पुष्टि की।, बैंगलोर।

बी.

2. अपील में शामिल छोटे मुद्दे की सराहना करने के लिए, कुछ तथ्यों को निर्धारित करना आवश्यक है।

सी.

3. अपीलार्थी वादी होते हैं जबकि प्रतिवादी दीवानी मुकदमे में प्रतिवादी होते हैं जिसमें से यह अपील उत्पन्न होती है।

4. अपीलार्थियों (वादियों) ने द्वितीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग), बैंगलोर के न्यायालय में प्रतिवादियों (प्रतिवादियों) के खिलाफ दिनांकित बिक्री विलेख रद्द करने के लिए

एक दीवानी मुकदमा (ओ. एस. No.3/90) दायर किया।प्रतिवादियों ने मुकदमे का विरोध किया।16.09.1997 दिनांकित निर्णय/डिक्री द्वारा, ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे को खारिज कर दिया।

डी.

5. अपीलार्थी (वादी) ने व्यथित महसूस किया और जिला और सत्र न्यायाधीश, बैंगलोर ग्रामीण जिले के न्यायालय में पहली अपील (आर. ए. सं. 18/97) दायर की।दिनांक 1 के निर्णय द्वारा, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया और निचली अदालत के फैसले/डिक्री को बरकरार रखा।6. अपीलकर्ताओं ने मामले को आगे बढ़ाया और उच्च न्यायालय में दूसरी अपील R.S.A.No.804/2001 के रूप में दायर की।इसके बाद, पक्षों ने मामले से समझौता किया और इसलिए, उच्च न्यायालय (एकल न्यायाधीश) ने दिनांक 1 के आदेश द्वारा पक्षों के बीच हुए समझौते के संदर्भ में अपील का निपटारा कर दिया।

ई.

एफ.

7. इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 2 (सी. नागा राजू), प्रतिवादी संख्या 1 ने निपटाई गई अपील (आर. एस. ए. संख्या 804/2001) में एक आवेदन दायर किया और उसमें शिकायत की कि पक्षों के बीच हुआ समझौता, जिसके परिणामस्वरूप दूसरी अपील का निपटान हुआ, उस पर बाध्यकारी नहीं है और उसने दिनांकित 10.04.2002 के आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया।

जी.

8. उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 (प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया।उक्त आदेश से व्यथित, प्रतिवादी संख्या 2 ने इस न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से अपील दायर की।दिनांक 04.08.2003 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने अपीलों को स्वीकार कर लिया

एच.

ए.

(सिविल अपील सं. 5531-32/2003 आदि।आदि)और दिनांक 1 के आदेश को दरकिनार करते हुए समझौता याचिका पर विचार के प्रश्न पर निर्णय लेने सहित कानून के अनुसार नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को भेज दिया।आदेश इस प्रकार हैः

" छुट्टी दे दी गई।

बी.

जब उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए दूसरी अपील आई**,** तो उसने निम्नलिखित शर्तों में इसका निपटारा किया:

"श्री सिद्दप्पा**,** विद्वान वकील प्रत्यर्थी संख्या **2** के लिए शक्ति प्रदान करते हैं।दोनों पक्षों ने समझौता याचिका दायर की है।सभी दल उपस्थित हैं।अधिवक्ता एफ या दोनों पक्ष भी मौजूद हैं।समझौता याचिका की अनुमति दी गई है।समझौता याचिका को ध्यान में रखते हुए**,** अपील का निपटारा किया जाता है।तदनुसार डिक्री बनाएँ।**"**

सी.

डी.

क्या वास्तव में पक्षों के बीच समझौता किया गया था या नहीं**,** उच्च न्यायालय द्वारा आदेश **XXIII** सिविल प्रक्रिया संहिता के संदर्भ में जांच नहीं की गई थी।इसके अलावा**,** यह स्पष्ट नहीं है कि समग्र रूप से अपील पर न्यायालय के समक्ष दायर ज्ञापन का क्या प्रभाव पड़ा है। उच्च न्यायालय द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए थी और उसके द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए था।

ई.

इसलिए**,** हम उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को दरकिनार करते हैं और समझौता याचिका पर विचार करने के प्रश्न सहित कानून के अनुसार नए सिरे से विचार के लिए मामले को उच्च न्यायालय को भेजते हैं।

एफ.

तदनुसार अपीलों की अनुमति दी जाती है।**"**

9. रिमांड के बाद, उच्च न्यायालय ने मामले को अपने हाथ में लिया और कुछ तारीखों पर समझौते की वास्तविकता के सवाल का फैसला करने के लिए पक्षों के साक्ष्य दर्ज करने के लिए मामला तय किया, जैसा कि दिनांकित आदेश पत्रों 26.07.2006,03.09.2007,26.10.2007,12.11.2007,18.12.2007 (अनुलग्नक पी-8/9) से स्पष्ट है।

जी.

10. हालाँकि, उच्च न्यायालय ने तब समझौते की वास्तविकता के संबंध में कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाया और ए का अवलोकन किया।

एच.

मुनी रेड्डी और ए. एन. आर. बनामसी. नागराजू और ओआरएस। [अभय मनोहर सप्रे, जे।] ए.

कि इस न्यायालय के दिनांकित 04.8.2003 के आदेश के संदर्भ में, एक बार जब मामले की गुण-दोष के आधार पर जांच की जाती है, तो समझौता याचिका की वास्तविकता में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की:

"8.....मुझे प्रतिवादी संख्या **2** की प्रतिपरीक्षा के लिए मामले को किसी अन्य तिथि तक स्थगित करने की कोई आवश्यकता नहीं है**,** जिसने दो कारणों से समझौता याचिका को रद्द करने के लिए अपने आवेदन के समर्थन में सबूत के रूप में अपना हलफनामा दायर किया है।सबसे पहले**,** सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं इस न्यायालय द्वारा **10.04.2002** पर पारित निर्णय/समझौता डिक्री को रद्द कर दिया है।दूसरा**,** उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि मामले की जांच गुण**-**दोष और समझौते की वास्तविकता या अन्यथा के आधार पर की जानी चाहिए।

बी.

सी.

9. यह स्पष्ट है कि यदि मामले की गुण**-**दोष के आधार पर जांच की जानी है**,** तो समझौता याचिका की वास्तविकता में या अन्यथा जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसलिए मैं स्वयं हलफनामे की सामग्री पर गौर करने का प्रस्ताव नहीं करता हूं**,** जिसे यदि बिल्कुल भी देखा जाए और स्वीकार किया जाए तो प्रतिपरीक्षा की आवश्यकता होती है।इसके बजाय**,** मैं अपील के गुण**-**दोष पर निर्णय के लिए आगे बढ़ने का प्रस्ताव करता हूं और इसलिए**,** प्रतिवादी संख्या **2** की प्रतिपरीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसी हलफनामे पर विचार नहीं किया गया है।**"**

डी.

ई.

11. इस प्रकार देखने के बाद, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांकित अपने आवेदन में आक्षेपित समझौता याचिका की वास्तविकता की जांच करना आवश्यक नहीं समझा और योग्यता के आधार पर दूसरी अपील पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ा और आक्षेपित आदेश द्वारा दूसरी अपील को खारिज कर दिया।

एफ.

12. यह उच्च न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ है, वादी ने व्यथित महसूस किया है और इस न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपील दायर की है।

13. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान वकील श्री त्रिदीप पेस और प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील श्री के. राधाकृष्णन पेश हुए।14. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन पर, हम अपील की अनुमति देने के लिए इच्छुक हैं और विवादित आदेश को दरकिनार करते हुए मामले को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय को रिमांड पर देते हैं जैसा कि यहां नीचे निर्देश दिया गया है।

जी.

एच.

15. हमारी सुविचारित राय में, उच्च न्यायालय ने उपरोक्त उद्धृत इस न्यायालय के दिनांक 04.08.2003 के आदेश की व्याख्या करने में गलती की।दिनांक 1 के आदेश को केवल पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने समझौते की याचिका पर विचार करने के प्रश्न सहित कानून के अनुसार नए सिरे से निर्णय लेने के अनुरोध के साथ मामले को उच्च न्यायालय को भेज दिया।इसका तात्पर्य यह था कि समझौता याचिका पर विचार करने के प्रश्न पर पहले निर्णय लेने की आवश्यकता थी।यह सरल कारण है कि यदि समझौता कानूनी और उचित माना गया था, तो योग्यता के आधार पर दूसरी अपील पर निर्णय लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी।दूसरे शब्दों में, योग्यता के आधार पर दूसरी अपील पर निर्णय लेने की आवश्यकता तभी उत्पन्न होती जब समझौते को अवैध माना जाता और संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी नहीं माना जाता।

बी.

सी.

16. इसलिए, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा की गई शिकायत के अनुसार समझौते की वास्तविकता और वैधता के प्रश्न पर विचार नहीं करने में गलती की और तुरंत योग्यता के आधार पर दूसरी अपील पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ा।उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई इस प्रक्रिया में, इस सवाल पर कि समझौता वैध था या नहीं, इसके गुण-दोषों पर ध्यान नहीं दिया जा सकता था, जिसमें इसे पहली बार में जाना चाहिए था।17. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, उच्च न्यायालय का विवादित आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है क्योंकि इसे दिनांकित 04.08.2003 आदेश में निहित इस न्यायालय के निर्देशों के उद्देश्य को ठीक से समझे बिना पारित किया गया था।इसलिए, इसने पक्षों के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह पैदा किया।

डी.

ई.

18. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपील सफल होती है और इसकी अनुमति दी जाती है।विवादित आदेश को अलग रखा जाता है।ऊपर दिए गए निर्देश के अनुसार मामले पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को भेज दिया गया है।

19. उच्च न्यायालय समझौता आवेदन की वास्तविकता के प्रश्न पर निर्णय लेते समय, जैसा कि इस न्यायालय के दिनांक 1 के आदेश द्वारा निर्देशित किया गया है, समयबद्ध अवधि में पक्षों के साक्ष्य दर्ज करने के उद्देश्य से मामले को निचली अदालत को भेजना उचित मान सकता है। निचली अदालत से साक्ष्य प्राप्त करने पर, उच्च न्यायालय पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आलोक में प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेगा।

एफ.

जी.

20. यदि समझौता कानूनी और उचित माना जाता है, तो योग्यता के आधार पर दूसरी अपील पर निर्णय लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।यह इस कारण से है कि ऐसी स्थिति में, समझौते के संदर्भ में दूसरी अपील का निपटारा करने का दिनांकित 10.04.2002 आदेश इस क्षेत्र को कानूनी और उचित मानता रहेगा।

एच.

751

मुनी रेड्डी और ए. एन. आर. बनामसी. नागराजू और ओआरएस। [अभय मनोहर सप्रे, जे।]

ए.

21. हालाँकि, यदि समझौते को अवैध माना जाता है, तो 10.04.2002 का आदेश दरकिनार कर दिया जाएगा।इसके परिणामस्वरूप, दूसरी अपील गुण-दोष के आधार पर सुनवाई के लिए पुनर्जीवित होगी।उच्च न्यायालय तब कानून के अनुसार योग्यता के आधार पर दूसरी अपील पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेगा।22. उच्च न्यायालय से अनुरोध है कि वह मामले को, जैसा कि ऊपर कहा गया है, अधिमानतः 6 महीने के भीतर जल्द से जल्द निपटा ले।

बी.

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.